

Check list for site inspection by the DFO/CF/CCF :

"Inspection Report by DFO- Ratlam (M.P.)"

Sl No.	Particular	Inspection Report By CCF/DFO (T)			
1.	Extent is hectares.	3.376 हेक्टेयर			
2.	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Comp. No.	Point No.	Latitude	Longitude
		R-61	1	23°20'53.17"	74°45'33.02"
		R-62	1	23°20'26.22"	74°47'48.06"
		R-67	1	23°21'25.08"	74°44'35.04"
		P-79	1	23°19'53.80"	74°39'35.40"
		P-150	1	23°20'13.80"	74°55'36.90"
3.	Legal status of the forest land (protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land)	वनमण्डल रतलाम अन्तर्गत वन परिक्षेत्र रतलाम/शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-1 वन कक्ष क्रमांक आर-61, 62, 67 एवं वनखण्ड माही भाग-5 वन कक्ष क्रमांक पी-79, एवं वनखण्ड साम्भरखो-एफ वन कक्ष क्रमांक पी-150 जो आरक्षित वन एवं संरक्षित वन की श्रेणी में आता है।			
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	सीमांकन का कार्य हो चुका है।			
5.	Any signs of encroachment.	प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है।			
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non_forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	आवेदक लोक निर्माण विभाग, रतलाम द्वारा अद्यतन स्थिति में वनक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक पी-150 में लम्बाई 163 मीटर एवं चौड़ाई 5.50 मीटर सी.सी. मार्ग निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबंधी कार्य किया गया। विभाग द्वारा आवेदक विभाग को लेख कर मार्ग निर्माण कार्य बंद कराया गया।			
7.	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	प्रस्तावित वनक्षेत्र पी-79, आर-61, 67 पुर्नस्थापना कार्यवृत्त, एवं वनक्षेत्र पी-150, आर-62 चारागाह विकास कार्यवृत्त में होकर घनत्व 0.4 से कम व BL2 एवं BL3 का होना पाया गया।			
8.	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई दुर्लभ प्रजाति के वन्यप्राणी नहीं है। मात्र लोमड़ी, सियार, नीलगाय एवं लकड़बग्घा के प्रमाण देखे गये।			
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	ग्रामीण क्षेत्र होने से पालतु पशुओं का चराई का दबाव है।			
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working Plan and, if not, why?	हाँ			
11.	Importance of the area from historical or religious point of view.	प्रस्तावित क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्मारक एवं धार्मिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं है।			
12.	Any dependent persons/ families on this land.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई व्यक्ति आश्रित नहीं है, ना ही कोई परिवार निवासरत है।			
13.	Any displacement of persons proposed.	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।			

14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	आवेदक विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र में पुनर्वास योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः व्यक्तियों/परिवारों को व्यवस्थापित नहीं किये जाने से पुनर्वास संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of area for CA. If in the degraded forest land than what is the current Working plan prescription for the area Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	प्रभावित वनभूमि के बदले रतलाम जिले के अन्तर्गत ग्राम शेरपुर तहसील पिपलौदा भूमि सर्वे न. 858 रकबा 3.376 हेक्टेयर गैर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण रोपण किया जाना प्रस्तावित है।
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 kms.	प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई संरक्षित क्षेत्र/सैलाना अभ्यारण्य क्षेत्र से लगभग 9.00 कि.मी. दूरी पर है। जो ईको सेंसिटिव जोन 2 कि.मी. की परिधि में नहीं आता है।
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	वनक्षेत्र में प्रस्तावित वन भूमि में पूर्व से प्रचलित मार्ग होने से वनअधिकार पत्र वितरित नहीं किया गया है। जिसका विनिश्चयन किया गया है।
18.	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	प्रस्तावित रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग पूर्व से प्रचलित मार्ग होने से मार्ग का उन्नयन कार्य निर्माण वन क्षेत्र में 3.376 हेक्टेयर चारागाह विकास /पुनर्स्थापना कार्यवृत्त के अंतर्गत BL2 एवं BL3 का होकर 0.4 से कम धनत्व का वन क्षेत्र होने से निर्माण कार्य किया जाना है। जिससे मार्ग निर्माण होने से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आवगमन एवं माल ढुलाई का कार्य तीव्रगति से किया जा सकेगा।
19.	In case of renewal whether all the condition stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	हाँ, पूर्व में आवेदक विभाग का कोई प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया है।
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific project.	रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग पूर्व से प्रचलित मार्ग होने से मार्ग का उन्नयन कार्य निर्माण प्रस्तावित है।
21.	A certificate of user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग पूर्व से प्रचलित मार्ग होने से मार्ग का उन्नयन कार्य निर्माण प्रस्तावित है।
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for while the forest land is being diverted is also not adversely affected.	प्रस्तावित मार्ग में प्रभावित वनक्षेत्र में कोई भी वृक्षों का विदोहन कार्य नहीं किया जाना है।
23.	Any other issue of significance.	-
24.	Specific recommendations of the DFO with reasons for approval of the project.	प्रस्तावित रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग पूर्व से प्रचलित मार्ग होने से मार्ग का उन्नयन कार्य निर्माण वन क्षेत्र में 3.376 हेक्टेयर चारागाह विकास /पुनर्स्थापना कार्यवृत्त के अंतर्गत BL2 एवं BL3 का होकर 0.4 से कम धनत्व का वन क्षेत्र होने से निर्माण कार्य किया जाना है। जिससे मार्ग निर्माण होने से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आवगमन एवं माल ढुलाई का कार्य तीव्रगति से किया जा सकेगा। अतः प्रकरण की अनुशंसा की जाती है।

Place : Ratlam

Date : 21/10/2021

Divisional Forest Officer
Ratlam (Territorial) (M.P.)